

03

उप मुख्यमंत्री, बिहार का कार्यालय कोषांग

(पथ निर्माण, भवन निर्माण, पिछड़ा एवं
अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)

गै०स०प्रे०सं० 1338 (3/16)

(पीत पत्र के बदले में)

दिनांक 23-06-17

श्री संजय कुमार राय, ग्राम- विशुनपुर मधौल, पो०- मधौल, थाना- महुआ,
जिला- वैशाली तथा श्र मो० शकील, कौरठबाड़ी, मधुबनी, वार्ड नं०-16, जिला- पूर्णियाँ
से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त कुल दो आवेदन संलग्न है।

दोनों ही आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि आवेदक द्वारा माँगी गई
जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं
आता है।

अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत
उक्त दोनों आवेदनों का निष्पादन करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

4
23/6/17

(प्रीतम कुमार)

उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव,
बिहार सरकार, पटना

207/200 फा० (3/17)

23-6-17

उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-
लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

20 फा०

23-6-17

श्री-संजय
16/7
23/6

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

02

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

वा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय)

आई० डी० सं० - 77/1718

श्रीमान उपमुख्यमंत्री, महोदय
पटना बिहार

1. आवेदक का नाम मो० शकील
2. पूरा पता कौरबाड़ी, मधुबनी, वडिन-16 जिला-पूरुबिहार
पिन नं० - 854301
3. मांगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

महोदय,

सविनय निवेदन है कि लोक सूचना पदाधिकारी नगर-निगम पूरुबिहार से प्राप्त सूचना कि नगर-निगम पूरुबिहार में नगर संप्रभुत्व एवं नगर प्रबंधक को छोड़कर किसी अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों का स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है जबकि बिहार अधिनियम "2007" की धारा "40" का संशोधन कर "2013" में नहीं धारा "40अ" जोड़ी गयी है जिसके अन्तर्गत नगर पालिका कर्मिक प्रबंधन के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों का स्थानान्तरण का प्रावधान है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि नहीं संशोधन अधिनियम "40अ" के अन्तर्गत पूरुबिहार नगर-निगम कर्मियों का स्थानान्तरण किन परिस्थिति में नहीं की जा रही है कृपा उचित सुझाव देने की कृपा की जाए।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने 10/- रुपये (शब्दों में) दस रुपये को रसीद सं० 38F 621769 से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमांड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं० 38F 621769 दिनांक 12/06/17 जो लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में प्रधान डाक्टर बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने 10/- रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है। आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

मो० शकील, पता- कौरबाड़ी
मधुबनी, वडिन-16 जिला-पूरुबिहार
पिन नं० - 854301

मो० - शकील
12/06/17
आवेदक का हस्ताक्षर
ई-मेल पता, अगर कोई हो;
दूरभाष संख्या
9534640555

स्थान : पूरुबिहार तिथि : 12/06/17
नोट :- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

04

प्रपत्र 'घ'
(सूचना उपलब्ध कराना)
(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

नि-शाखा
कृषि-श्रीधर
निर्माण विभाग
Nskm
28-06-17

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई0डी0सं0-77/17-18- 3222(E) पटना, दिनांक- 28/6/17

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

मो० शकील,
कौरठबाड़ी, मधुबनी,
वार्ड नं०-16, जिला-पूर्णियाँ,
पिन-854301

महाशय,

यह आपके सूचना-आवेदन दिनांक-12.06.2017, जो उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री के कोषांग में दिनांक-23.06.2017 को प्राप्त हुआ है, (आई0डी0सं0-77/17-18-) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. सूचना आवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा याचित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(च) के तहत परिभाषित सूचना की श्रेणी में नहीं आता है। फलतः वांछित सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

पथ निर्माण विभाग
कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजायत संख्या

315601
29.6.17
Nskm
[Signature]

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन
[Signature]
27.6.17
(शैलेन्द्र कुमार)